प्रेस नोट थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहांपुर

<u>सराहनीय कार्य दिनांक- 02.11.2025</u>

“थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाईकिलों सहित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ के नेतृत्व मे थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाईकिलों सहित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.10.2025 को वादी श्री प्रशान्त अग्रवाल पुत्र श्री राकेश चन्द्र अग्रवाल निवासी मोहल्ला कसभरा मठिया थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दाखिला तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल UP 27 AD 3112 (HF डीलक्स, सिल्वर कलर) चोरी कर लिए जाने के संबंध में थाना पुवायाँ पर मु0अ0सं0 741/2025 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 01.11.2025 को वादी श्री अवनीश प्रजापति पुत्र श्री बनवारी लाल निवासी मोहल्ला अम्बेडकर नगर, कस्बा व तहसील पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर, द्वारा दाखिला तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल Hero HF डीलक्स रजि0 नं0 UP 27 AU 6053 चोरी कर लिए जाने के संबंध में थाना पुवायाँ पर मु0अ0सं0 790/2025 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 पंजीकृत किया गया। उक्त दोनों घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए प्रकरणों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखकर तत्काल पुलिस टीम गठित कर अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चोरी की गई मोटरसाइकिलों की बरामदगी हेतु पतारसी-सुरागरसी हेतु मामूर की गयी।

दिनांक 01.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर की गई कार्यवाही में अभियुक्त गौरव पुत्र स्व0 रमेश निवासी मोहल्ला कसभरा अस्थल, कस्बा व थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र लगभग 25 वर्ष के घर से वाहन स्वामी प्रशान्त अग्रवाल उपरोक्त की चोरी की गई मोटरसाइकिल HF डीलक्स रजिस्ट्रेशन नं0 UP 27 AD 3112, इंजन नं0 HA11EJG9E07486, चेसिस नं0 MBLHA11ATG9E35103 सम्बन्धित मु0अ0सं0 741/2025, धारा 303(2) BNS बरामद की गई।
तत्संबंध में एक अन्य चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स एवं नम्बर प्लेट UP 27 AU 6053, इंजन नं0 HA11EPK9E09057 एवं चेसिस नं0 MBLHAW061K9E02425 संबंधित मु0अ0सं0 790/2025 धारा 303(2) BNS भी अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए। अभियुक्त गौरव पुत्र स्व0 रमेश को उसके अपराध तथा धारा 303(2)/317(2) BNS से अवगत कराते हुए समय 18:10 बजे दिनांक 01.11.2025 को पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बरामद वाहन/पार्ट्स को कब्जा पुलिस में लिया गया। बरामदगी के आधार पर उक्त दोनों अभियोगों में धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गई। विवेचना के दौरान दोनों अभियोगों में 1.गौरव पुत्र स्व0 रमेश निवासी मोहल्ला कसभरा अस्थल, कस्बा व थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र लगभग 25 वर्ष (गिरफ्तार) 2. मोनू पुत्र कल्लू मूल निवासी राधा विहार कॉलोनी, कस्बा व थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर, हाल निवासी मोहल्ला कसभरा अस्थल, कस्बा व थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर (वांछित) अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। गिरफ्तार अभियुक्त गौरव को विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मय बरामदशुदा माल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1.गौरव पुत्र स्व0 रमेश निवासी मो0 कसभरा अस्तल कस्बा व थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 25 वर्ष

पंजीकृत/गिरफ्तारी अभियोगः –

1.मु0अ0स0 741/25 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर।

2.मु0अ0स0 790/25 धारा 303(2)/317(2)BNS थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरण –

1.मो0सा0 HF डीलेक्स रजिस्ट्रेशन न0 UP 27 AD 3112 इन्जन न0 HA11EJG9E07486 चेसिस न0 MBLHA11ATG9E35103 सम्बन्धित मु0अ0स0 741/25 धारा 303(2)/317(2) BNS

2. मो0सा0 रजि0 नं0 UP 27 AU-6053 इन्जन न0 HA11EPK9E09057 व चेसिस न0 MBLHAW061K9E02425 सम्बन्धित मु0अ0स0 790/25 धारा 303(2)/317(2) BNS

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मै अण्डे की धकेल लगाता हूँ तो मोनू नाम का लडका कुछ दिन पहले मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ काम करने के लिये रख लो। मैने उसको रख लिया तो कुछ दिन उसने काम किया और मुझसे कहने लगा कि अण्डे बेचने से कम पैसे मिलते है परिवार का खर्चा नही चल पाता है। मेरे साथ काम करों , मै मोटरसाईकिल चोरी करता हूँ और उनको काटकर उनके पार्टस को अलग अलग करके बेच देता हूँ। मै भी इस लालच मे मोनू पुत्र कल्लू मूल नि0 राधा विहार कालोनी कस्बा व थाना पुवायां के बहकावे मे आकर हम दोनो ने एक मोटरसाईकिल HF डीलेक्स रजिस्ट्रेशन नं0 UP 27 AD 3112 इन्जन को दि0 10.10.25 को खुटार रोड पुवायाँ से चोरी की थी तथा दूसरी मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP 27 AU-6053 दिनांक 31.10.25 को सूरज मैरिज लोन गेट पुवाया से चोरी की थी। साहब गलती हो गयी है मुझे माफ कर दो।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1.व0उ0नि0 श्री राकेश सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
2.म0उ0नि0 सुश्री मनीषा चौधरी थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
3.का0 180 निर्दोष कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
4.का0 162 अविनाश मिश्रा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर